दिनांक 25.09.2018 को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (डिस्टिलरी यूनिट) रोहाना मिल, ब्लॉक–चरथावल, मुजफ्फरनगर, यू0पी0 द्वारा 45 केएलपीडी क्षमता के मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट तथा 1.4 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लान्ट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु आयोजित लोक सुनवाई के कार्यवृत्त।

2018 को अपर जिलाधिकारी (न्यायिव
ण्डियन पोटाश लि0 (डिस्टिलरी
रनगर, यू0पी0 द्वारा 45 केएलपीडी क्ष
4 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्ला
ोक सुनवाई आयोजित की गई।

लोक सुनवाई में निम्नलिखित अधिकारी/जनसमूह उपस्थित हुए :–

1– श्री सियाराम मौर्य, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुजफ्फरनगर

2– श्री विवेक राय, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मजफ्फरनगर

3– श्री विपुल कुमार, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

4– डा0 मनोज गर्ग, पर्यावरणीय सलाहकार एवं तकनीकी विशेषज्ञ, मै0 एसेन्सो एन्वायरो प्रा0लि0, नोएडा

5– श्री सुधीर कुमार, जनरल मैनेजर, मै0 इण्डियन पोटाश लि0, रोहाना, मुजफ्फरनगर

6– लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमूह की उपस्थित संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री विवेक राय, क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत आच्छादित है, अतः इस परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व नियमानुसार लोक सुनवाई की प्रक्रिया की जा रही है। उक्त अधिसूचना के अनुसार स्थानीय/राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लोक

सुनवाई हेतु दिनांक 15.08.2018 को दैनिक जागरण एवं दि हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रस्तावित उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (डिस्टिलरी यूनिट) रोहाना मिल, ब्लॉक–चरथावल, मुजफ्फरनगर के प्रस्तावित स्थल पर दिनांक 25.09.2018 की मध्यान्ह 12:00 बजे लिखित रूप में अथवा स्वयं उपस्थित होकर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। समाचार पत्रों के कटिंग की छायाप्रतियां संलग्न हैं। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई दिनांक 25.09.2018 से पूर्व कोई लिखित आपत्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर में प्राप्त नहीं हुई है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना का विस्तृत विवरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण सम्बन्धी जानकारी देने हेतु परियोजना प्रस्तावकों से कहा गया। परियोजना के पर्यावरणीय परामर्शी मै0 एसेन्सो एन्वायरो प्रा0लि0, नोएडा के डा0 मनोज गर्ग द्वारा विस्तृत रूप से परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (डिस्टिलरी यूनिट) रोहाना मिल, ब्लॉक–चरथावल, मुजफ्फरनगर द्वारा 45 किली0/दिन क्षमता की शीरा आधारित आसवनी एवं 1.4 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कच्चे माल के रूप में शीरे का प्रयोग किया जायेगा तथा 1.4 मेगावाट को–जनरेशन के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में बैगास एवं स्लॉप का प्रयोग किया जायेगा। उद्योग द्वारा 45 कि.ली./दिन रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./एब्सोल्यूट एल्कोहल एवं 1.4 मेगावाट को–जनरेशन की इकाई की स्थापना का प्रस्ताव कुल 8.1 एकड स्वयं की भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के जल प्रदूषण नियन्त्रण तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

जल प्रदूषण :

उद्योग में जल की आपूर्ति रोहाना माइनर कैनाल से सतही जल 450 किली0/दिन सिंचाई विभाग की अनुमति से लिया जाना प्रस्तावित है। उद्योग से जनित स्पेन्ट वॉश को सीधे मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में सांद्रणीकरण करते हुए इसका

इन्सीनिरेशन 18 टीपीएच के ब्वॉयलर के द्वारा किया जायेगा, जिसमें ईंधन के रूप मे मुख्यतः कॉन्सनट्रेट स्पेन्ट वॉश/बैगास/स्लॉप का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रक्रिया से शत् प्रतिशत स्पेन्ट वॉश से जनित प्रदूषण को शून्य कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग से अन्य उत्प्रवाह जैसे स्पेन्ट लीज, ब्वायलर ब्लो डाउन, एम.ई.ई. कन्डन्सेट, कूलिंग टावर ब्लो डाउन को कन्डन्सेट प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा शुद्धिकरण के पश्चात् प्रक्रिया में पुनः रिसाईकिंल कर लिया जायेगा। यह प्रक्रिया उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं तथा उद्योग द्वारा क्लीन टेक्नोलोजी मिशन के अंतर्गत इसको अपनाये जाने का प्रस्ताव है। इससे जल प्रदूषण शून्य हो जायेगा।

वायु प्रदूषण :

उद्योग में वायु प्रदूषण के मुख्य श्रोत 18 टीपीएच के ब्वॉयलर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। 18 टी.पी.एच. के ब्वॉयलर से सम्बद्ध नवीन टेक्नॉलोजी पर आधारित बैग फिल्टर तथा भूतल से 55 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित की जायेगी, जो समग्र पार्टिकुलेट उत्सर्जन तथा गैसीय उत्सर्जन में समस्त प्रदूषणकारी तत्वों को मानकों के अनुरूप शुद्धिकरण कर सकेगा। इस प्रक्रिया से स्रोत उत्सर्जन ही नहीं, बल्कि परिवेशीय वायुगुणता को मानकों के अनुरूप रखने में सहायता प्राप्त होगी।

ठोस अपशिष्ट :

उद्योग संचालन से जनित स्लॉप को स्लॉप फायर्ड ब्वायलर में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। ब्वायलर से जनित ऐश को खाद के रूप में प्रयोग किया जायेगा। फर्मेन्टर स्लज को जैविक खाद बनाने के प्रयोग में लाया जायेगा।

ध्वनि प्रदूषण :

ध्वनि प्रदूषण हेतु उद्योग द्वारा विभिन्न उपाय प्रस्तावित किये गये हैं जिससे परिवेशी वायुगुणता में ध्वनि मानकों के सापेक्ष पूर्ति कराई जा सके।

ग्रीन बेल्ट का प्राविधान :

उद्योग द्वारा नियमानुसार ग्रीन बेल्ट का प्राविधान प्रस्तावित है।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों को लोक सुनवाई किये जाने के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताया गया एवं उक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया।

उपस्थित जनसमूह में से –

1. **डा0 जयकुमार निवासी बडकली द्वारा कहा गया कि उनकी कुछ शंकायें हैं तथा उनका निराकरण चाहते हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को इकाई में रोजगार देने की मांग की। पानी को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के बाद अगर पानी बचता है तो उसकी क्या व्यवस्था है ? इसी तरह के प्लांट मन्सूरपुर से पूरे क्षेत्र में बदबू की समस्या होती है, तो क्या यहाँ भी ऐसा ही नहीं होगा ? क्या ऐसा कोई यंत्र है, जो इसको रोक सके ?**

उत्तर : पर्यावरणीय परामर्शी डा0 मनोज गर्ग द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग की प्रक्रिया से जनित स्पेन्टवॉश को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा उसको बॉयलर में प्रयोग करेंगे। मन्सूरपुर प्लांट में स्पेन्टवाश से बायोकम्पोस्ट (खाद) बनाया जाता है, उस प्रकार का प्रोसेस इस प्लांट में नहीं है तथा इस प्लांट में दुर्गंध वाली प्रक्रिया नहीं है।

2. **श्री अरविन्द मलिक निवासी बधाई कलां ने कहा कि इस फैक्ट्री के लगने से न तो पर्यावरण को कोई नुकसान है, न किसी अन्य प्रकार का नुकसान है। प्रबन्ध तंत्र से बात हुई है कि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एन0जी0टी0 है, प्रदूषण विभाग है, जो प्रदूषण नहीं होने देंगे। उन्होंने इस इकाई की स्थापना हेतु पूर्ण समर्थन की बात कही।**

3. श्री कुशल त्यागी, प्रधान ग्राम बहेडी ने प्रश्न किया कि रोहाना मिल मे सारी जमीन बहेड़ी गांव की है, 300 बीघा जमीन ली गयी थी, जिससे 50 घर बेरोजगार हैं। अगर यह फैक्ट्री लगाई जाती है तो सबसे पहले उनको रोजगार देना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता जो विरोध कर रही है, वह प्रदूषण का विरोध है, शराब फैक्ट्री का विरोध है, अगर एथेनॉल का [illegible] लगा रहे हैं तो उसका विरोध नहीं है।

[illegible] त्यागी निवासी बहेडी ने कहा कि [illegible] इस क्षेत्र के किस–किस व्यक्ति [illegible] प्रदूषण नहीं रोक पाये तो अब [illegible] डी0 पानी चाहिए, वह राजवाहे [illegible] के लिए पानी नहीं है तो [illegible] क्षेत्र का क्या विकास होगा?

उत्तर– पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि यह प्लांट शराब का नहीं है, इसमें एथेनॉल का उत्पादन किया जायेगा, जो एक पैट्रोलियम प्रोडक्ट है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए नवीन तकनीकी पर आधारित प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की जायेगी। इकाई में पानी की आपूर्ति के बारे में बताया कि शुगर इकाई 5–6 महीने चलती है, शुगर मिल में गन्ने के रस में 80 [illegible] है, जिसको इवापोरेशन के बाद [illegible] किया जायेगा, उस पानी को आसवनी इकाई में प्रयोग किये जाने का वैकल्पिक प्रस्ताव भी है।

5. श्री नरेश त्यागी निवासी बहेड़ी ने प्रश्न उठाया कि उक्त फैक्ट्री में खसरा सं0 635 की 35 बीघा शमशान की जमीन है, श्रेणी–6 की जमीन उद्योग को कैसे दे दी? यह भी कहा कि हम एथनॉल या पेट्रोल की फैक्ट्री नहीं चाहते, खतौली, लक्सर की तरह यहाँ भी प्रदूषण होगा। आई.पी.एल. नाजायज तरीके से जमीन कब्जा करके फैक्ट्री लगाना

चाहता है। फैक्ट्री लगने से कैंसर जैसी बीमारी व मक्खी–मच्छर आयेंगे, इसलिये विरोध करता हूँ।

उत्तर–वर्तमान ग्राम प्रधान श्री चन्द्रशेखर द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारियों से ग्राम सभा की भूमि की पैमाइश कराकर अलग चिन्हित करा दी गई है, जिस पर मिल का कब्जा नहीं है। अध्यक्ष महोदय द्वारा भी चर्चा कर यह जानकारी दी गई कि वर्तमान मिल प्रबन्धन ने ग्राम सभा की किसी भूमि पर कब्जा नहीं किया है, मिल पहले निगम का था, जो आई.पी.एल. ने क्रय किया है। फिर भी अगर ग्राम सभा की जमीन होगी, तो उसको निकाल लिया जायेगा तथा कब्जा मुक्त करा लिया जायेगा।

6. **श्री संजीव त्यागी, भारतीय किसान यूनियन निवासी ग्राम रोहाना खुर्द, मुजफ्फरनगर द्वारा इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में कहा कि यह फैक्ट्री शराब की नहीं है, एथनॉल का उत्पादन करने की है। उनके द्वारा फैक्ट्री की स्थापना का समर्थन किया गया।**

7. **श्री मनोज त्यागी, ग्राम प्रधान घलौली द्वारा कहा गया कि 85 गांवों का क्षेत्र है, सभी का विकास होना चाहिए न कि किसी एक गांव का।**

8. **श्री विपुल कुमार निवासी बहेड़ी ने कहा कि आई.पी.एल. लोगों को गुमराह कर रहा है, उसके द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. की पहली लाईन है कि शीरे से शराब बनायेंगे "Molasses based distillery unit"। फैक्ट्री के लिए रोहना माइनर कैनाल 2 किमी0 दूर राजवाहे से पानी लेंगे। फैक्ट्री का जो गन्दा पानी होगा उसकी COD - BOD के बारे में क्षेत्र को लोगों को नहीं पता। स्पेन्टवॉश की BOD 55000 से 60000 होती है, जिसके कारण 10 किमी0 का एरिया बर्बाद हो जायेगा। सल्फेट, नाइट्रोजन, पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी, जिससे सांस व कैंसर जैसी बीमारियां होगी। शुगर मिल से निकलने वाली राख बन्द नहीं हुई, जिसके कारण घर में खाना नहीं खा सकते, कपड़े नहीं पहने सकते। आई.पी.एल. कुछ अच्छा काम करना चाहती है तो मैडिकल कॉलेज खोले, हॉस्पिटल बनाये। इस फैक्ट्री का विरोध करता हूँ।**

उत्तर– पर्यावरणीय परामर्शी डा0 मनोज गर्ग द्वारा श्री विपुल कुमार निवासी बहेडी के प्रश्न, जो अन्य द्वारा पूर्व में भी उठाये गये थे तथा विभिन्न आशंकाओं के रूप में है, का निराकरण करते हुए उत्तर दिया गया कि इस फैक्ट्री में शराब का उत्पादन नहीं होगा, 100 प्रतिशत एथनॉल का उत्पादन होगा। इकाई में पानी की आपूर्ति के बारे में बताया कि शुगर इकाई 5–6 महीने चलती है, शुगर मिल में गन्ने के रस में 80 प्रतिशत पानी होता है, जिसको इवापोरेशन के बाद कन्डन्सेट करते हुए एकत्र किया जायेगा, उस पानी को आसवनी इकाई में प्रयोग किये जाने का वैकल्पिक प्रस्ताव भी है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित स्पेन्टवॉश की BOD - COD बहुत अधिक होती है, उसको किसी नदी नाले में नहीं बहाया जायेगा, बल्कि उसको MEE के द्वारा concentrate कर बैगास में मिक्स करके ब्वायलर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा, जिससे ऊर्जा मिलेगी, स्टीम बनेगी, जिसको टरबाईन में प्रयोग कर विद्युत उत्पादन किया जायेगा। यह इकाई शून्य उत्प्रवाह पर आधारित होगी।

9. **श्री कमर आलम निवासी बहेडी ने प्रश्न उठाया कि बहेड़ी के लोगों को परेशानी है, मुस्लिम बस्ती को गन्दा पानी पीना पडता है। स्कूल, खेल का मैदान बनाया जाये, कोई परेशानी नहीं है। शराब फैक्ट्री का विरोध करते हैं।**

उत्तर–पर्यावरणीय परामर्शी श्री मनोज गर्ग द्वारा उत्तर देते हुए कहा गया कि इस फैक्ट्री में शराब का उत्पादन नहीं होगा, एथनॉल का उत्पादन किया जायेगा।

10. **श्री अनिल त्यागी, जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि हम विकास का विरोध नहीं करते हैं। तन–मन–धन से विकास के साथ हैं। फैक्ट्री से बदबू, पानी दूषित होने व छाई से परेशानी होगी तो फैक्ट्री का विरोध करते हैं, इसके लिए जांच होनी चाहिए। ई.टी.पी. को बाईपास किया जाता है तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नई तकनीकी का प्रयोग किया जाये। एथनॉल है या शराब फैक्ट्री, यह स्पष्ट किया जाना**

चाहिए। क्षेत्र के योग्य लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। रोहाना शुगर मिल के कारण क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं होगा।

उत्तर–पर्यावरणीय परामर्शी श्री मनोज गर्ग द्वारा उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस फैक्ट्री में शराब का उत्पादन नहीं होगा, एथनॉल का ही उत्पादन होगा। फैक्ट्री से जनित स्पेन्टवॉश को Incinerator में ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जनसमूह से यह कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को परियोजना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव देना है तो वह लिखित रूप में अपनी आपत्ति अभी भी प्रस्तुत कर सकता है।

ग्राम बहेड़ी, परगना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर के श्री विपुल कुमार, कमर आलम, योगेश त्यागी आदि द्वारा अध्यक्ष महोदय को अपनी आपत्ति के रूप में ज्ञापन सौंपा गया, जो संलग्न है।

लोक सुनवाई में कई ग्रामों के प्रधानों द्वारा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा करते हुए कहा गया कि उक्त इकाई लगने से क्षेत्र का विकास होगा।

तदुपरान्त परियोजना के समर्थन में आई.पी.एल. द्वारा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों श्री दिलशाद अंसारी ग्राम रोहाना खुर्द, श्रीमती पूजा त्यागी ग्राम घलौली, श्री मुनेश कुमार ग्राम बडकली, श्री अजय कुमार ग्राम मलीरा, श्रीमती नीलम ग्राम बधाई खुर्द, श्री कर्ण सिंह ग्राम जटनंगला, श्री लेखराम ग्राम रामपुर, श्री सचिन मलिक ग्राम बधाई कलां, श्री अक्षय पुण्डीर ग्राम कछौली, श्री मौहम्मद आमीर ग्राम खामपुर, श्री धर्मवीर ग्राम कल्लरपुर, श्री जुबैर ग्राम बढ़ीवाला, रूबीना ग्राम दीदाहेडी, श्रीमती सरला देवी ग्राम रेई, श्रीमती मोनिका ग्राम सिसौना, श्रीमती प्रेमो ग्राम परेई, श्री श्रवण कुमार ग्राम

महतौली, श्री विजय कुमार ग्राम आखलौर, श्री अरविन्द त्यागी ग्राम रोहाना कलां के समर्थन पत्र लोक सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराये गये, जो मूल रूप में संलग्न हैं। लोक सुनवाई में उपस्थित अधिकतम लोगों ने परियोजना लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की तथा मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (डिस्टिलरी यूनिट), रोहाना मिल, ब्लॉक चरथावल, मुजफ्फरनगर में 45 के.एल.पी.डी. क्षमता के मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरी इकाई तथा 1.4 मेगावाट कोजनरेशन पावर प्लांट की स्थापना एवं समग्र प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्ताव की उपयोगिता के दृष्टिगत् समर्थन भी व्यक्त किया गया।

अन्त में सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त किये जाने की घोषणा की गयी।

संलग्नक–लोक सुनवाई की सी0डी0 एवं उपस्थिति

25/9/18
(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर।

25/09/2018
(सियाराम मौर्य)
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
मुजफ्फरनगर।